डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-571 **New Delhi: 26.07.2021**

श्रीमती सुमनलता
पत्नी श्री सतीश चंद्र शर्मा
निवासी बाघई प्रथम
तहसील व थाना टूंडला
जिला फ़िरोज़ाबाद
उत्तर प्रदेश-283203
मोबाइल -8445665372

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 03.03.2021, जो उत्तर रेलवे से स्थानांतरित हो कर इस कार्यालय में दिनांक 09.07.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आपने 300/- रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर (सं0 50H-032654, 50H-032655 और 50H-032653), जो उत्तर रेलवे को भेजा था, वह, आपको इस पत्र के साथ मूल रूप में वापस कर रहे है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 1. 02 पृष्ठ

2. 300/- रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर
(सं0 50H-032654, 50H-032655 और 50H-032653- मूल रूप में)

26/07/2021

(एस. के. राय)
उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
इ-मेल-skroy@dfcc.co.in
दूरभाष - 011-23454707

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212(A)

Dated: 22.07.2021

सेवा में,

उप मुख्य परियोजना प्रबंधक/मनाव संसाधन
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
दूण्डला/आगरा।

विषयः-जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत मॉगी गई जानकारी के सम्बंध में।

सन्दर्भः-एच0क्यू0/एडमिन/आर0टी0आई0-571/नई दिल्ली दिनांक 12.07.2021।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित विषय में आपको अवगत करना है कि डेडीकेटेड फेट कारीडोर रेल परियोजना द्वारा जिला फिरोजाबाद तहसील टूण्डला के ग्राम रूधऊ मुस्तकिल के गाटा संख्या 785 कुल भूमि रकवा 2.1380 हे0 में से रेल परियोजना के निर्माण हेतु अर्जित भूमि रकवा 0.6520 हे0 का अधिग्रहण किया गया है, वह परियोजना द्वारा उपरोक्त स्थल पर 0.6520 हे0 भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया है। जिसमे सभी प्रभावित भू-स्वामियो को तहसील द्वारा प्राप्त सामूहिक हिस्साकसी के आधार पर भूमि के सम्पूर्ण प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही भी लगभग 05 वर्ष पूर्व पूर्ण की जा चुकी है। वर्तमान में उक्त गाटें में किसी प्रकार के प्रतिकर की धनराशि भुगतान हेतु शेष नही है।

उपरोक्त के सम्बंध यह भी अवगत कराया जाना है कि अपरमहाप्रबंधक/एच0आर0 के पत्र क्रमांक एच0क्यू0/एच0आर0/31 भूमि प्रभावितो दिनांक 24.04.2014 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि डेडीकेटेड फेट कारीडोर रेल परियोजना से प्रभावित भू-स्वामियों के सेवायोजन का कोई भी प्रावधान नही है। जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय द्वारा चाही गई जानकारी आपके समक्ष आवेदन के निस्तारण कराये जाने हेतु प्रेषित है।

धन्यवाद।

24/07/2021

(एस0के0मोहन्ती)
उप परियोजना प्रबंधक/सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
टूण्डला/आगरा।

AP-30/4/14
DFCCL
Ajay Sh...

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. HQ/HR/31/Land Losers

Dated: 24.04.2014

To,

All Chief Project Managers,
DFCCIL.

Sub: Provision of Employment to land losers affected by land acquisition for DFCCIL project.

References are frequently received from PAPs for providing appointment to one of the family members in terms of Railway Board letter no. E (NG)II/2010/RC-5/1 dated 16.07.2010.

2. In this connectin Railway Board vide letter no. 2014/Infra/17/5 daed 05.03.2014 has already clarified to North Western Railway that policy of providing appointment to land losers circulated vide Railway Board letter no. E (NG)II/2010/RC-5/1 dated 16.07.2010 is applicable to Railway and Production Units and not to Railway Public Sector Undertakings and hence not applicable to DFCCIL (copy enclosed).

3. References from PAPs on the aforesaid issue may therefore be dealt accordingly without referring the matter to Corporate Office. To maintain uniformity among different project units, if required, the reply may be given on the following lines:

"Railway Board policy circulated vide letter no. E (NG)II/2010/RC-5/1 dated 16.07.2010 regarding appointment of land losers affected by land acquisition for railway projects is applicable only to Railway/Production Units and not to Railways Public Sector Undertakings (PSUs) and other Units. As such, this policy is not applicable to Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) as it is Public Sector Undertaking (PSU)".

(Hari Krishan) 24/4/14
Addl. General Manager/HR

All. Dy CPMs
Policy for LA.

GM/2
5/5/14